न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1.	पीठासीन अधिकारी	: श्री अशोक कुमार शर्मा
2.	प्रकरण संख्या	: 25/2018
3.	उनवान	:ग्राम पंचायत शार्दुलपुरा पंचायत समिति दूदू तहसील फुलेरा जिला जयपुर जरिये सरपंच। बनाम सजना देवी पत्नी सुरजकरण गुर्जर निवासी मातेडा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
4.	निर्णय दिनांक	: 30.09.2022
5.	अधिवक्तागणों का नाम	: अ) अधिवक्ता श्री मदन लाल कुडी निगरानीकार की ओर से। ब)अधिवक्ता श्री विजय कुमार शर्मा गैर निगरानीकार की ओर से।

निर्णय

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायत राज अधिनियम 1994

संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि विपक्षी संख्या 1 आवेदन मय शपथ पत्र पट्टा चाहने बाबत् वास्तविक तथ्यों को छुपाकर पंचायती राज एक्ट के प्रावधानों के विपरीत नियम विरूद्ध निगरानीकार को मुगालते में रखते हुए चरागाह भूमि खसरा नं 200/1 में बने हुए पुराने मकानात् का पट्टा आबादी भूमि खसरा नं 320 में बताकर दिनांक 10.08.2017 को पट्टा संख्या 84 पंडित दीनदयाल उपाध्याय पट्टा वितरण अभियान 2017 में जारी करवा लिया गया है। कौरम बैठक में पटवार हल्का ने भी पत्रावलियों का अवलोकन किया। बने हुये मकानात आवेदनकर्ताओं के आबादी भूमि में होना बताया और आबादी खसरा नम्बर की लिस्ट दी, परन्तु जिसके सन्दर्भ में दिनांक 05.07.2018 को ग्राम के कुछ लोगों द्वारा ग्राम पंचायत को अवगत करवाया गया कि उक्त जारी पट्टा चरागाह भूमि में जारी करवा लिया गया है। आबादी भूमि में उक्त पट्टे का कोई संबंध सरोकार नहीं है। जिसका आज ही मौके पर ही उपस्थित होकर सीमाज्ञान करवाया जाना आवश्यक है। जिसके लिए पटवार हल्का की उपस्थिति में ग्राम पंचायत के आग्रह पर सीमाज्ञान किया गया। जिसमे जारीशुदा पट्टे की जगह आबादी भूमि में नही होकर चरागाह सीमा के अन्दर पाई गई जिससे ग्राम पंचायत कौरम ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर उक्त जारी पट्टे को निरस्त करवाने बाबत सक्षम न्यायालय में निगरानी दायर कर उक्त पट्टे को निरस्त करवाने की कार्यवाही का प्रस्ताव पारित किया। अपीलाधीन आदेश अवैध, कानून विरूद्ध तथा पंचायत राज अधिनियम 1994 व वर्तमान पंचायतराज नियम 1996 के प्रावधानों के कतई विपरीत है, क्योंकि जारी पट्टा विपक्षी संख्या 1 वास्तविक तथ्यों को जानते हुए जानबुझकर छुपाकर उक्त अपीलाधीन आदेश नियम विरूद्ध पारित करवा लिया। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व ग्राम पंचायत/ निगरानीकार ने कौरम के व विपक्षी संख्या 1 के विश्वास पर चूंकि मौके पर काफी आबादी बसी हुई है और उक्त जारी पट्टा को आबादी में मानते हुए चूंकि ये चरागाह भूमि की सीमा से लगती हुई होने के कारण ध्यान नहीं रहा और पट्टा विपक्षी संख्या 1 को जारी कर दिया गया है, जो कि चरागाह भूमि में होने कारण निरस्त की जानी योग्य है। उक्त निगरानीधीन पट्टा सहवन से और आवेदनकर्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन व शपथ पत्र पर विश्वास कर कौरम द्वारा भी इन तथ्यों पर विश्वास कर मौके आदि का अवलोकन कर, चूंकि आबादी और चरागाह भूमि की सीमा पर उक्त मकानात् होने के कारण आबादी में होना मानकर अपने रिपोर्ट वगैरह पेश की। जिसके आधार पर उक्त पट्टा चरागाह भूमि में जारी हो गया। निगरानीकारान् द्वारा निगरानी में शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि मिसल संख्या 154 संकल्प संख्या 01(06)

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर

के द्वारा पट्टा संख्या 84 जारी किया गया, को वह इससे संबंधित सपूर्ण कार्यवाही को निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा नोटिस तलबी जारी किये गये तथा मूल रिकॉर्ड मंगवाया गया।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि गैर निगरानीकार द्वारा चरागाह भूमि खसरा नं 200/1 में बने हुए पुराने मकानात् का पट्टा आबादी भूमि खसरा नं 320 में बताकर दिनांक 10.08.2017 को पट्टा संख्या 89 जारी करवा लिया गया। सीमाज्ञान में जारीशुदा पट्टे की जगह आबादी भूमि में नही होकर चरागाह सीमा के अन्दर पाई गई। अपीलाधीन आदेश अवैध, कानून विरूद्ध तथा पंचायत राज अधिनियम 1994 व वर्तमान पंचायतराज नियम 1996 के प्रावधानों के विपरीत है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर मिसल संख्या 154 संकल्प संख्या 01(06) के द्वारा पट्टा संख्या 84 को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि उक्त निगरानी केवल राजनैतिक द्वेष की भावना के कारण पेश की गई है। विपक्षी द्वारा नियमानुसार निर्धारित शुल्क देकर पट्टा प्राप्त किया गया है। पट्टा जारी करने से पूर्व मौके की जांच कर पंचायत द्वारा विधि सम्मत पट्टा जारी किया गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन पंजीयन विभाग में करवाया गया है। इसके अतिरिक्त सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण निगरानी खारिज योग्य है।

हम निगरानीकार की निगरानी, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि विचाराधीन पट्टा जारी करने वाली संस्था ग्राम पंचायत शार्दुलपुरा ने ही बाद जांच यह माना है कि पट्टा सहवन से आबादी भूमि में नहीं होकर चारागाह भूमि में जारी हो गया है, जिस पर सन्देह का कोई आधार नहीं है तथा गैर निगरानीकार द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज पेश नहीं किया है, जिससे यह साबित होता हो कि विचाराधीन पट्टा चारागाह भूमि में जारी नहीं होकर आबादी भूमि में ही जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में निगरानी स्वीकार योग्य ज्ञात होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम स्वीकार की जाकर पट्टा संख्या 84 निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2022. को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Court to the Addl. Collector & Add. District Magistrate-III • JAIPUR •

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर